राजभाषा हिंदी
स्वर्ण जयंती

FAX : 011-3012432 (N.B.)
011-3013142 (E.O.)
011-4624821 (L.N.B.)
011-6107962 (Trg. Div.)
011-4361230 (P.E.S.B.)

संख्या-14028/8/99-स्थापना§छुट्टी§

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
नई दिल्ली
NEW DELHI

दिनांक जनवरी 06, 2000

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश से अधिक अर्जित अवकाश का संचय हो जाने पर उसे अग्रिम रूप से अवकाश-खाते में जमा करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में 240 दिन के अर्जित अवकाश के संचय और नकदीकरण की अधिकतम सीमा बढ़ा कर 300 दिन कर दिए जाने के बारे में इस विभाग के दिनांक 07·10·97 के कार्यालय-ज्ञापन सं0-14028/7/97-स्था0§छुट्टी§ का हवाला देने और यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संशोधित सीमा के मद्देनज़र, उन मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा §छुट्टी§ नियम, 1972 के नियम 26§1§§ख§ के परन्तुक में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए जहाँ दिसम्बर अथवा जून के अंतिम दिन किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश-खाते में §240 दिन के स्थान पर§ 300 दिन का अथवा उससे कम परन्तु §225 दिन के स्थान पर§ 285 से अधिक दिन का अर्जित अवकाश जमा हो । उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह अथवा जुलाई माह के पहले दिन किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश-खाते में 15 दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से जमा करके अलग से रखा जाना अपेक्षित होता है और वह उस संबंधित अर्ध-वर्ष में उस कर्मचारी द्वारा लिए जा सकने वाले अर्जित अवकाश के मद्दे पहले समायोजित किया जाना अपेक्षित होता है ।

2· ये अनुदेश जुलाई, 1997 के पहले दिन से प्रभावी हैं ।

3· केन्द्रीय सिविल सेवा §छुट्टी§ नियम, 1972 के संगत प्रावधानों में औपचारिक संशोधन, अलग से अधिसूचित किया जाएगा ।

§बी0 गंगर§
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
पृष्ठांकन मानक सूची के अनुसार ।